

10 Book No. 2667
No.

19 MAR 2014



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
NAWADA, SCORE, NAWADA

COURT FEE

Authorization No. 2610

भारत

STAMP DUTY

0 0 0 0

बिहार
JUDICIAL

Rs. ≈ 0000020 ≈ 19.3.2014

375300

BIHAR

INDIA

*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Two*Zero***

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
NAWADA, SCORE, NAWADA

प्रस्तुप 26
नवादा

(नियम 4क देखिए)

Authorization No. 2610

भारत

STAMP

0 0

Rs. ≈ 0000020 ≈ 19.3.2014

375300

BIHAR

*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Eight Zero***



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) नवादा - ३९ (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं विजय राम

**पुत्र/पुत्री/पत्नी भग्नन राम

आयु 42 वर्ष, जो श्रा. पिपरा डीला, पा० लुधड़ी

भागा, गोविन्दपुर, आनुगढ़ी-खोला, जिला-नवादा

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(1) मैं मुख्यमन्त्री भाजपा (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम विजय राम, गोविन्दपुर-नवादा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं १५२
८७७ के क्रम सं ८७७ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ०९००६०८७११८ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...
है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

विजय राम

Sanjay Kumar Sinha
NOTARY Govt. of Bihar
NAWADA

19/03/2014
No. 1371/99

विजय राम

4062 0720814

4055 0616825

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारीता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ.)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं	शून्य

विजय राम

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विलद्द लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	न्यूडिपिपल मणीस्ट्रेट (कोडलियाक्सर) 4-35 इव 17 ई.एल हेक्ट 28-5-2010
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	भीड़ी पत्ती के ब्यालिटन में जगा लगाना
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विलद्द निरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शुभ

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुभ
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	शुभ
(ग)	अधिरोपित दंड	शुभ
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विलद्द कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुभ

विजय राम

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में रकम सं. रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्र/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
संजग १०० प्र० (ii) दली० न०-१२९६	लाठ में नकदी बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1000/- 1000/- रु०	5000/- मगद्य ग्राहीक रु०	शु०प शु०प शु०प	शु०प शु०प शु०प	शु०प शु०प शु०प
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	रु०प रु०प	शु०प शु०प	शु०प शु०प	शु०प शु०प	शु०प शु०प

विजय २७।

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	5500/- 100 रुपये पाँच हजार	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	11000/- 10500/-	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प
	समग्र कुल मूल्य				

आ स्थान पर आस्तियों के ब्यौरे

* टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्व-प	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प	शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प शु-प

विजय राम



विनिधान	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
अनुमानित चालू बाजार मूल्य (ii) गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लगभग दरालाख/	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
अनुमानित चालू बाजार मूल्य (iii) वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मिति क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
अनुमानित चालू बाजार मूल्य (IV) आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मिति क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०
स्वार्जित संपत्ति की दशा में	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०	प्र०

विजय ८२५

क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI) पूर्वांक (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के पति दायित्वों/को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौरों का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	शून्य	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति पूर्वांक वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विजय २०२५



धनकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
सेवाकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
नगरपालिका / संपति कर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
विक्रयकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
कोई अन्य शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल

(७) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं १५८

(ख) पति या पत्नी ११०

(८) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है -

इंद्र शुक्ल पात्र (मेरी) सन् १९८५ ई०

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

19 MAR 2014

विजय राम

Sanjay Kumar Sinha
NOTARY Govt. of Bihar
NAWADA

Amrit Sawant
AN
19/03/2014
6. No. 1371199

विजय राम

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री/श्रीमती/कुमा० विष्णु राम		
2	डाक का पता		इन्दौर पिंडरा गोठ लुधिया उत्तर प्रदेश गोपनीय द्वारा दिया गया		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		39, नवादा, उत्तर प्रदेश		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		मुख्यमन्त्री उमाधान पाटी		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल)		शून्य		
	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें निम्नदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमन्त्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य		
	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है		
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपरेखा में)				
विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विजय राम



	I. स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संरिमाण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	* ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अहंता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	उच्चतम शैक्षिक अहंता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	उच्चतम शैक्षिक अहंता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	उच्चतम शैक्षिक अहंता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	उच्चतम शैक्षिक अहंता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	उच्चतम शैक्षिक अहंता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)



विजय राम

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्पर्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिन कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आभितों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19-03-2014 को सत्यापित किया गया।

विजय राम
अभिसाक्षी

टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमेश्नर या प्रथम वर्ग माजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में बैठने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, पथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपार्ट्यस्लाम से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं उच्च, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि, अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जौं उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या / संख्याएँ हैं / हैं 1006087115"

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

विजय राम